न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2025 (राजसमन्द डिकी)

बाघसिंह पिता सरदारसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सिरोड़ी, तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. कालूसिंह पिता रामसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सिरोड़ी, तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. अभयसिंह पिता इन्द्रसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सिरोड़ी, तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री सरदारसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सिरोड़ी, तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती उगम कंवर पुत्री सरदारसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सिरोड़ी, तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. भगवतसिंह पिता सरदारसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सिरोड़ी, तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती मोर कंवर पुत्री सरदारसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सिरोड़ी, तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती मोहर बाई पत्नी इन्द्रसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सिरोड़ी, तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम – 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट दि0
06.05.2025 प्रकरण संख्या 85/2024

––––/––––

उपस्थित :– 1– श्री प्रमोद लक्षकार अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री चावण्डसिंह शक्तावत अभिभाषक रे.सं.

––––::––––

निर्णय **दिनांक 12.[illegible].2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:35 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सिरोडी, तहसील सरदारगढ़ में आराजी नंबर 205 मी., 666 मी. 667 मी. 671 मी. कुल किता 4 रकबा 0.0850 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की है। उक्त भूमियों के अलावा वादी व प्रतिवादीगण की अन्य भूमियां भी थी, जिसे आपसी सहमति से बंटवारा कराकर अपने–अपने नाम दर्ज करवा लिया है। उक्त आपसी सहमति विभाजन वर्ष 2010 में किया गया था, तब से वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त आपसी विभाजन में रास्ते के लिए संयुक्त रूप से भूमि छोड़ी गयी जो रास्ते के काम में आ रही है, किन्तु उक्त भूमि की किस्म रास्ता अंकित नहीं होने से प्रतिवादीगण द्वारा आये दिन रास्ते को बन्द कर दिया जाता है, जिससे वादी अपनी कृषि भूमि में आने जाने से वंचित हो जाता है। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमियों की किस्म रास्ता अंकित की जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा घोषणा एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन की दाद चाही गयी है, जबकि भूमियां शामलाती होकर संयुक्त खातेदारों के मध्य विभाजन नहीं हुआ है। जब तक भूमियों का नियमानुसार विभाजन नहीं हो जाता, तब तक उक्त भूमियों के संबंध में घोषणा का वाद नहीं लाया जा सकता। इस वाद चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 06–05–2025 से वादी का वाद स्वीकार कर विवादित भूमि की किस्म रास्ता घोषित करते हुए राजस्व रेकार्ड में नक्शा ट्रेस में अंकन करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 17–06–2025 को प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 5, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री चावण्डसिंह शक्तावत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:35 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि दिनांक 06–05–2025 को आदेश 7 नियम 11 पर बहस की गयी उसके बाद न्यायालय द्वारा जवाब बन्द करने के बाद डिक्री जारी कर दी गयी, जो विधिक सिद्धान्त के विपरीत है। जवाब बन्द करने की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी, न ही निर्णय की कोई जानकारी दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय को तनकियां बनाकर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। सारी प्रक्रिया एक ही दिन में कर दी गयी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि बंटवारा प्रस्ताव में रास्ते की भूमि दर्शायी गयी थी। धारा 251ए यहां लागू नहीं होती है, क्योंकि यह प्रतिवादी के खाते में से नहीं ली गयी है। बंटवारा प्रस्ताव में इसे शामलाती रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत घोषणा का दावा किया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने संयुक्त खाते की भूमि को रास्ता घोषित किये जाने का आदेश पारित किया है, जो धारा 88 के तहत कवर नहीं होता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि पूर्व में आपसी सहमति से विभाजन के तहत उक्त खसरे सहमति से रास्ते के रूप में रखे गये थे। आपसी सहमति के विभाजन पत्र अनुसार वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कालूसिंह का खसरा नंबर 205 मी., 400, 666 मी., 667 मी., 670, 671 मी. कुल किता 6 रकबा 0.4800 हैक्टर में 1/3 हिस्सा अंकित है तथा इसे शामलाती ब[illegible] है। वर्तमान जमाबन्दी में भी ये भूमियां [illegible] खातेदारी की भूमि पर सभी काश्तकारों का समान हक व अधि[illegible] होता है। रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की ध[illegible]51 व

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ. उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:35 IST
Reason: SelfAttested

251ए में प्रावधान दिये गये हैं साथ ही राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र दिनांक 10–08–2016 में सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। प्रस्तुत प्रकरण धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं आता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 88 के तहत प्रस्तुत वाद में रास्ते के संबंध में निर्णय पारित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–05–2025 अपास्त किया जाता है। वादी/रेस्पोडेन्ट रास्ते के संबंध में दिये गये नियम व धाराओं के तहत अलग से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

12-8-25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:35 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम.........**उदयपुर**........

व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

बाघसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत, निवासी सिरोड़ी, तह0 सरदारगढ़, जिला राजसमन्द बनाम **कालूसिंह पिता रामसिंह राजपूत, नि0 सिरोड़ी, तहसील सरदारगढ़, जिला जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.......**23/2025**......व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी** ..

........**आमेट**............. मुकाम...........मुवर्खे..............**06**..........माह.......**05**............**2025**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**....माह.......**08**.....सन् **2025** रूबरू..........**पक्षकारान** व हाजरी.........**श्री प्रमोद लक्षकार**.......मिनजानिब अपीलान्ट व.. **चावण्डसिंह शक्तावत**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06—05—2025 अपास्त किया जाता है। वादी/रेस्पोडेन्ट रास्ते के संबंध में दिये गये नियम व धाराओं के तहत अलग से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)....रूपये...... **X**........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**12**......माह.......**08**..........**2025**........ को जारी किया गया।

12-8-25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:35 IST
Reason: SelfAttested